

सत्यमेव जयते

1) Kajorilal S/o Lohar R/o Salimpur Police Station Nadbai, district Bharatpur (Presently Confined in Central Jail, Bharatapur)

2) Chandraprakash S/o Kajorilal R/o Salimpur Police Station Nadbai, district Bharatpur (Presently Confined in Central Jail, Bharatapur)

----Appellants

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. A.K Gupta, Sr. Adv. assisted by
Ms. Chandhrakala Sahu,
Mr. Saurabh Pratap Singh Chauhan,
Mr. Ashutosh Singh Naruka &
Mr. Gorang Agarwal

For Respondent(s) : Mr. Sudesh Kumar Saini, PP
Mr. V.P. Bishoni with
Ms. Savita Nathawat

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

Reserved on :: **19/03/2026**

Pronounced on 24 /04/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **कजोड़ीलाल एवं चन्द्रप्रकाश** की ओर से विचारण न्यायालय—अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), संख्या—2, भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—**69/2001**, राजस्थान राज्य बनाम **कजोड़ीलाल वगैरह** में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 27.02.2004 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। आलौच्य निर्णय से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी—अभियुक्तगण को धारा **304बी** भारतीय दण्ड संहिता

से दोषमुक्त किया गया, लेकिन धारा **306 व 498ए** भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में दोषसिद्ध करते हुए धारा **306** भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये दोनों अभियुक्तगण को **सात-सात वर्ष** के साधारण कारावास एवं एक-एक हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा **498ए** भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये **एक-एक वर्ष** के साधारण कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की अदायगी नहीं किये जाने पर अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया।

अपील के निस्तारण के क्रम में सक्षेप में मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार दिनांक 22.08.1994 को परिवादी सुखराम सिंह ने पुलिस थाना, नदबई पर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 प्रस्तुत कर अंकित किया कि उसकी पुत्री मंजू की शादी दिनांक 14.06.1994 को अभियुक्त चन्द्रप्रकाश के साथ हुई थी। शादी में दहेज का सामान, नकद रुपये, बर्तन, कपड़े, गहने आदि दिये थे। शादी के तुरन्त बाद चन्द्रप्रकाश व उसके पिता कजोड़मल एवं अन्य सदस्यों ने कम दहेज लाने के नाम पर उसकी पुत्री को तंग व परेशान करना शुरू कर दिया। शादी के बाद दसई पर लड़की को लेने भेजा तो 31,000/- रुपये की मांग की और कहा कि रुपये लाने पर लड़की को भेजेंगे एवं अभद्र व्यवहार भी किया। रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि आज से करीब दस दिन पूर्व उसका लड़का मनोज, राजेन्द्र कुमार लड़की मंजू को लेने गये तो मंजू ने रोते हुए बताया कि भाई इनको जो रुपये मांगते हैं, वह दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। इन सभी ने उसे तंग व परेशान कर रखा है। दिनांक 21.08.1994 की रात को इन दहेज लोभियों ने उसकी लड़की को एकराय षडयंत्र रचकर मार दिया और उसके भाई रोशन ने टेलीफोन से यह सूचना दी।

इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना, नदबई पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान वर्तमान अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण एवं अभियुक्ता सामन्ती के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में धारा 498ए एवं 304बी भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र पेश हुआ।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर, अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी एवं 306 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 17 गवाहान को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये।

अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष होना और झूठा फंसाया जाना प्रकट किया गया। अभियुक्त चन्द्रप्रकाश ने बचाव में अतिरिक्त बयान प्रस्तुत किया। प्रतिरक्षा साक्ष्य में अभियुक्त पक्ष की ओर से सात गवाहान को परीक्षित कराया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में भी दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये।

तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनकर आलौच्य निर्णय पारित करते हुए अभियुक्ता सामन्ती को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया गया, परन्तु दोनों अपीलार्थी-अभियुक्तगण को उपर्युक्तानुसार अपराधों में दोषसिद्ध व दण्डादिष्ट किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से यह अपील पेश की गई है।

बहस अपील सुनी गई। अपीलार्थी-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय न केवल विधि के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण है, बल्कि निर्णय में अंकित अपने निष्कर्ष के ही प्रतिकूल जाकर दोषसिद्धि की गई है। इस क्रम में उनका तर्क रहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर क्रूरतापूर्वक व्यवहार व हत्या कारित करना साबित नहीं मानते हुए धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किया गया और फिर उसी साक्ष्य पर विश्वास करते

हुए अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण को धारा 306 एवं 498ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया गया है, जो पूर्ण रूप से विरोधाभासी होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज के लिये कभी प्रताड़ित व परेशान नहीं किया गया एवं न ही आत्महत्या के लिये उकसाया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण ने प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड.17 भरतलाल के बयानों का अवलम्ब लेते हुए तर्क दिया कि अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा मंजू को कभी तंग व परेशान नहीं किया, न ही मरने को उकसाया तथा न ही मारा गया। अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य का समर्थन अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहान पी.ड.2 तोताराम एवं पी.ड.16 ठण्डीराम के बयानों से होता है और इन तीनों गवाहान की साक्ष्य अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण की प्रतिरक्षा को मजबूती प्रदान करती है। उनका यह भी तर्क रहा कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त पक्ष की ओर से मृतका द्वारा अपने हाथ से लिखी गई डायरी को प्रतिरक्षा साक्ष्य में प्रदर्श डी-6 के रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्शित व प्रमाणित कराया गया है और जिसमें लिखित इबारत को नजरअंदाज कर एवं नहीं मानकर विद्वान विचारण न्यायालय ने त्रुटि की है। जबकि उक्त डायरी न केवल इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, बल्कि मामले के युक्तियुक्त निस्तारण हेतु निर्णायक व सुसंगत भी है।

उनका यह भी तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 23.01.2003 में अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी-3 मृतका का प्रवेश पत्र एवं प्रदर्श डी-6 मृतका द्वारा लिखी गई डायरी दोनों पर मृतका के हस्ताक्षर समान प्रतीत होना माना है, ऐसी स्थिति में डायरी प्रदर्श डी-6 में मृतका द्वारा लिखित तथ्यों के आधार पर अभियोजन कहानी को विश्वसनीय व प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार मृतका द्वारा अपने जीवनकाल में लिखे गये अन्य पत्र प्रदर्श डी-4 एवं 5 दिनांकित

07.07.1994 एवं दिनांकित 25.09.1994 से भी अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, उक्त पत्र पर अंकित हस्ताक्षर व इबारत मृतका की होना स्वीकृत तथ्य है और उसमें लिखित इबारत अभियुक्त पक्ष की प्रतिरक्षा को विश्वसनीय बनाती है और अभियोजन कहानी संदेहाप्रद हो जाती है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण ने अनुसंधान के शुरुआती प्रक्रम पर ही आवश्यक दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे और अंत तक वही बचाव रहा है, अर्थात बाद सोच विचार कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण का बचाव विश्वसनीय माना जाना चाहिए।

उनका यह भी तर्क रहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहान में महत्वपूर्ण व सारभूत बिन्दुओं पर विरोधाभास है और ऐसी विरोधाभासी साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। आत्महत्या के अपराध से संबंधित मामले में मृत्यु से पूर्व मृतक/मृतका को आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होना आवश्यक तत्व है, जिसका वर्तमान मामले में नितान्त अभाव है। अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विरुद्ध मृतका को मृत्यु से तुरन्त पूर्व आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने का तथ्य अभियोजन पक्ष प्रमाणित नहीं कर सका है। किसी भी गवाह ने अभियुक्तगण द्वारा मृतका को मृत्यु से पूर्व दहेज के लिये तंग व परेशान करने का कथन नहीं किया है। मृतका का मृत्युकालिक कथन अभियोजन कहानी के विपरीत होने से अभियोजन कहानी विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। अभियोजन पक्ष अपीलार्थी-अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

इस प्रकार उपर्युक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के पक्ष में होने एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य से अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का

गलत विवेचन कर अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण को दोषसिद्ध व दण्डादिष्ट कर त्रुटि की है, अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य निर्णय अपास्त करते हुए अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई। उन्होंने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किये।

- 1- Gurucharan Kumar & Anr. Vs. State of Rajasthan, JT 2003 (1) SC 60
- 2- Shenbagavalli & Ors. Vs. Inspector of Police & Anr., Criminal Appeal No. 4268-4269/2024 Supreme Court of India
- 3- Renuka Prasad Vs. State, 2025 LiveLaw (SC) 559

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क रहा कि अभियोजन पक्ष मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। प्रकरण में अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण के विरुद्ध विवाह के बाद 31,000/- रुपये की मांग करते हुए मृतका को तंग, परेशान व प्रताड़ित किया गया है और यह तथ्य स्वयं मृतका ने अपने जीवनकाल में अपने भाई व परिवार के अन्य सदस्यों को रोते हुए बताया है और प्रताड़ना के तथ्य को उन गवाहान ने अपनी साक्ष्य से प्रमाणित भी किया है। दहेज की मांग करना कूरता की श्रेणी में आता है। प्रदर्श डी-6 डायरी के संबंध में उनका तर्क रहा कि उक्त डायरी में दिनांक अंकित नहीं होने से उक्त डायरी में अंकित मृत्युकालिक कथन संदेहास्पद हैं।

उनका यह भी तर्क रहा कि मृतका का शादी से पूर्व किसी लड़के से प्रेम संबंध होना और रक्षाबंधन पर मृतका को भाई व परिवारजन द्वारा पीहर नहीं बुलाये जाने से परेशान होकर स्वयं मृतका द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का बचाव अभियुक्तगण—अपीलार्थीगण साबित नहीं कर पाया है। प्रदर्श डी-6 में रक्षाबंधन पर नहीं बुलाये जाने का तथ्य अंकित नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य एवं पत्रावली पर प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य से अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता है। विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य निर्णय विधिसम्मत है, जिसमें

हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है, अतः अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया, पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

इस मामले में अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण आपस में पिता व पुत्र हैं। अपीलार्थी चन्द्रप्रकाश मृतका मंजू का पति एवं कजोड़ीलाल मृतका का ससुर है। अभियोजन कहानी के अनुसार अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण के विरुद्ध मृतका को अपने पीहर से 31,000 /— रुपये की मांग करते हुए प्रताड़ित करने एवं हत्या करने के आरोप हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन करते हुए अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण द्वारा मृत्यु से पूर्व मृतका के साथ 31,000 रुपये की मांग को लेकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने व हत्या करने का आरोप प्रमाणित नहीं माना है और अभियुक्तगण को धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 498ए व 306 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध व दण्डादिष्ट किया गया है, अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उक्त दोषसिद्धि के परिपेक्ष्य में ही विवेचन व विश्लेषण किया जाना उचित है।

अभियोजन पक्ष की ओर से परिवादी सुखराम पी.ड.1 के रूप में परीक्षित हुआ है, यह गवाह मृतका मंजू का पिता है। इस गवाह ने दिनांक 14.06.1994 को अपनी पुत्री मंजू का विवाह चन्द्रप्रकाश के साथ होना बताते हुए विवाह में दहेज का सामान देना बताया है। गवाह के अनुसार चन्द्रप्रकाश व कजोड़मल ने 31,000 रुपये की मांग की, जो वह नहीं दे सका। रक्षाबंधन से पहले मनोज व राजेन्द्र को बेटी को लेने के लिये भेजा, लेकिन उन्होंने मंजू को साथ नहीं भेजा। उन दोनों ने आकर उसे बताया कि मंजू रोकर यह कह रही थी कि उसके ससुराल वाले उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिये उनको

31000/- रुपये दे दो। दिनांक 22.08.1994 को परिवारी के भाई ने नदबई से मंजू की मृत्यु की सूचना दी।

यह गवाह प्रकरण का परिवारी है, जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि आज से करीब दस दिन पूर्व उसका लड़का मनोज, राजेन्द्र कुमार लड़की मंजू को लेने गये तो मंजू ने रोते हुए बताया कि भाई इनको जो रुपये मांगते हैं, वह दे दो, नहीं तो उसे जान से मार देंगे। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवारी ने स्पष्ट रूप से रुपये नहीं देने पर जान से मार देने का तथ्य अंकित किया है, जबकि न्यायालय में लेखबद्ध बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है। वर्तमान मामले में घटित अपराध की प्रकृति को देखते हुए परिवारी के बयानों में ऐसी महत्वपूर्ण व सारभूत साक्ष्य का अभाव अभियोजन कहानी के प्रतिकूल जाता है।

पी.ड.2 तोताराम ने बयान दिया है कि श्रीमती मंजू कुएं में कूदकर मरी थी। मंजू को उसके सास-ससुर अच्छी तरह रखते थे। गवाह ने स्पष्ट कथन किया कि उसे शक नहीं है कि उसके पति के तंग करने के कारण वह मरी थी। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने प्रकट किया कि मंजू को रक्षाबंधन पर लेने कोई नहीं आया था। इस प्रकार इस गवाह ने अभियोजन कहानी के बिल्कुल विपरीत कथन किये हैं।

पी.ड.3 हीरालाल का कथन है कि परिवारी सुखराम उसका चाचा लगता है। इस गवाह ने भी परिवारी सुखराम के बयानों के अनुरूप कथन किये हैं। पी.ड.4 भजनलाल परिवारी सुखराम के गांव का व्यक्ति है। इस गवाह ने भी चन्द्रप्रकाश व मंजू के विवाह एवं दहेज के सामान के संबंध में कथन किये हैं। गवाह के अनुसार वह भी बच्चों के साथ मंजू को लेने गया था। वहाँ मंजू ने यह कहा कि उसके ससुरालवालों के पैसे दे जाओ। वे लोग उसे बहुत परेशान करते हैं। लड़की कैसे मरी, उसे पता नहीं। इन गवाहान के बयानों में ऐसा नहीं आया है कि मृतका ने बताया कि यदि इनको 31000/- रुपये नहीं दिये तो ये लोग उसे जान से मार देंगे।

पी.ड.5 मनोज कुमार परिवारी का पुत्र और मृतका मंजू का भाई है, यह महत्वपूर्ण गवाह है। गवाह के अनुसार दसई में वह, रवि, भजनलाल, हीरालाल, धीरज आदि सभी उसकी बहन को लेने ससुराल गये थे। उसकी बहन रोती हुई निकलकर आई। बहन ने बताया कि उसका यहाँ खाना-पीना, चाय बंद कर दी है और उसे 31000/- रुपये लाने के लिये कहते हैं। बहन ने बताया कि यदि इनको 31000/- रुपये नहीं दिये तो ये लोग उसे जान से मार देंगे। गवाह का कथन है कि ये बातें पिताजी को बताई। गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि रक्षाबंधन से 20 दिन पहले वह और उसका भाई रवि बहन के ससुराल गये थे। मंजू ने रोते रोते कहा कि रुपये क्यों नहीं लाये, ये लोग उसे जान से मार देंगे। उसके बाद उसकी लाश ही हमें मिली थी। गवाह के अनुसार उसकी बहन की मृत्यु कैसे हुई, उसे पता नहीं है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह के पुलिस बयान प्रदर्श डी-11 का न्यायालय में दिये गये बयानों से कन्फ्रंट कराया गया, जिसमें गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श डी-11 में यह लिखा हुआ नहीं है कि दसई पर जब हम लिवाने गये तो मंजू रोती हुई आई और कहा कि मेरा यहां खाना पीना व चाय बंद कर दी है। यह भी अंकित नहीं है कि यदि तुम 31 हजार रुपये नहीं दोगे तो वह मुझे जान से मार देंगे। प्रदर्श डी-11 में यह लिखा नहीं है कि रक्षाबंधन से 20 दिन पूर्व जब हम लिवाने गये तो मंजू मिली और तब उसने रोकर यह कहा कि पैसे लाए या नहीं। यदि नहीं दोगे तो यह मुझे जान से मार देंगे। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी-11 का ए से बी एवं सी से डी भाग पुलिस को लिखाने से इनकार किया है। गवाह के अनुसार यह सही है कि पुलिस बयान में रक्षाबंधन से 20 दिन पूर्व मेरे साथ राजेन्द्र उर्फ रवि का जाना नहीं लिखा है।

इस मामले में अभियोजन कहानी का मूल आधार मृतका द्वारा अपने जीवनकाल में अपने भाई मनोज कुमार पी.ड.5 को ससुरालवालों द्वारा दहेज की मांग व प्रताड़ना के संबंध में बताये गये कथन ही हैं और उन्हीं कथनों को

आधार बनाते हुए इस मामले में घटित घटना के क्रम में मृतका के पिता द्वारा आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है। ऐसी स्थिति में मृतका के भाई मनोज कुमार के पुलिस बयानों में मृतका द्वारा उसे बताये अनुसार दहेज की मांग, प्रताड़ना व जान से मार देने आदि महत्वपूर्ण व सारभूत कथनों का अभाव होना एवं न्यायालय में दिये गये बयानों में ऐसे कथन करना निश्चित रूप से अपने बयानों में एक प्रकार से सुधार करने जैसा है। पुलिस बयानों में ऐसे महत्वपूर्ण कथनों के नहीं होने के संबंध में कोई विश्वसनीय व संतोषजनक कारण गवाह द्वारा नहीं बताया जा सका है। गवाह मनोज को मृतका द्वारा बताई गई बातों की पूर्व से ही जानकारी होने के बावजूद ऐसी महत्वपूर्ण बातों के संबंध में पुलिस को नहीं बताया जाना अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता को खण्डित करता है।

पी.ड.6 धीरज कुमार भी मृतका का भाई है। गवाह के अनुसार चन्द्रप्रकाश व उसके पिता ने विवाह के समय 31 हजार रुपये की और मांग की। 31 हजार रुपये नहीं देने पर बारात ने खाना नहीं खाया और बारात बिना खाना खाए चली गई। इस गवाह ने अपनी बहन को लेने के लिये भाई राजेन्द्र व मनोज कुमार का जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया है कि चन्द्रप्रकाश व उसके पिता द्वारा 31 हजार रुपये की मांग करने एवं 31 हजार रुपये नहीं देने पर बारात का बिना खाये चले का जाने तथ्य उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी-15 में नहीं लिखा हुआ है, जिसका कोई कारण नहीं बता सकता। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी-15 में उसका जाना गलत लिखा हुआ है। गवाह ने स्पष्ट किया कि वह सालमपुर नहीं गया।

इस प्रकार यह गवाह भी कई महत्वपूर्ण तथ्यों का अपने पुलिस बयानों में लिखा होने से इनकार करता है तथा जहाँ उसके पुलिस बयान में स्वयं का सालमपुर जाना अंकित है, तो न्यायालय बयानों में स्वयं का सालमपुर नहीं जाना बताता है।

पी.ड.7 गिरधरसिंह ने कथन किया कि मंजू उसकी चचेरी बहन थी। गवाह के अनुसार मंजू की मृत्यु होने की सूचना मिलने पर वह सालमुपर गया था। वहाँ चन्द्रप्रकाश, कजोड़मल और अन्य मिले, जिन्होंने पूछने पर बताया कि तुम्हारे चाचा ने 31 हजार रुपये धरा में कम दिये हैं, इस कारण तुम्हारी बहिन को मार दिया है। इस बिन्दु पर प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया कि उसके बयान प्रदर्श डी-16 में रुपये नहीं देने पर मार देने वाली बात लिखी हुई नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गवाह ने भी बढ़-चढ़कर बयान देने का प्रयास किया है। गवाह के अनुसार अभियुक्तगण चन्द्रप्रकाश व कजोड़ द्वारा 31 हजार रुपये नहीं देने पर मंजू को मार देने का तथ्य इस गवाह व अन्य के सामने प्रकट करना, निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकती है, लेकिन पुलिस बयानों में इसका उल्लेख नहीं होना और न्यायालय बयानों में ऐसे तथ्य प्रकट करना, उसके कथनों की विश्वसनीयता को संदेहास्पद बनाने के लिये पर्याप्त स्थिति है।

पी.ड.8 नंगा परिवादी सुखराम का सगा भाई है। इस गवाह के अनुसार उसे सुखराम ने बताया था कि लड़की को लिवाने के लिये बच्चों को भेजा तो लड़की ने बताया कि इनको 31 हजार रुपये नकद दे दो अन्यथा वे उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसे यह सब बातें उसके भाई सुखराम ने बताई हैं। इस प्रकार यह गवाह सुखराम द्वारा बताये अनुसार बयान दे रहा है। जबकि स्वयं सुखराम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह नहीं बताया है कि इनको 31 हजार रुपये दे दो अन्यथा वे मंजू को जीवित नहीं छोड़ेंगे, बल्कि सुखराम ने स्पष्ट कथन किया कि ससुराल वाले उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं। इस प्रकार जीवित नहीं छोड़ेंगे एवं ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, इन दोनों कथनों में सारभूत अंतर है और इन दोनों कथनों का अर्थ समान नहीं निकाला जा सकता है। अतः इस गवाह से अभियोजन कहानी को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है।

पी.ड.9 राजेन्द्र कुमार महत्वपूर्ण गवाह है। यह गवाह मृतका मंजू का भाई है और अभियोजन कहानी के अनुसार यह गवाह भी मनोज कुमार पी.ड.5 के साथ मृतका के ससुराल गया था। इस गवाह ने भी कथन किया कि मंजू ने रोकर यह बताया कि उसे यहाँ से ले चलो, नहीं तो यह लोग उसे जान से मार देंगे।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया कि उसकी बहन ने रोकर ससुराल वालों द्वारा तंग करने की बात बताई थी, परन्तु प्रदर्श डी-18 पुलिस बयान में यह बात लिखी हुई नहीं है। इस प्रकार ऐसे महत्वपूर्ण एवं सुसंगत तथ्य का इस गवाह के पुलिस बयानों में विलोप होना और न्यायालय बयानों में ऐसा कथन करना गवाह की विश्वसनीयता को इस बिन्दु पर खण्डित करता है। इसी प्रकार की स्थिति उसके भाई मनोज कुमार पी.ड.5 के पुलिस बयानों के संदर्भ में भी रही है, जिसका उल्लेख उपर किया गया है।

पी.ड.5 मनोज कुमार एवं पी.ड.9 राजेन्द्र मृतका के भाई हैं और इन दोनों को ही मृतका द्वारा दहेज की मांग, प्रताड़ना तथा ससुराल वालों द्वारा जान से मार देने की बताई गई बातों पर ही अभियोजन कहानी आधारित है और इन दोनों गवाह के पुलिस बयानों में ऐसे महत्वपूर्ण कथनों का विलोप पाया गया है। यह स्थिति अभियोजन के प्रतिकूल जाती है।

पी.ड.10 देवीराम ने कथन किया कि सुखराम ने लड़की के विवाह में रीति रिवाज अनुसार सामान दिया था। सुखराम ने धरा में 51 हजार रुपये नहीं दिये, इसलिये कजोड़ी नाराज होकर बारात को लेकर चला गया। उसने सुना था कि कजोड़ी ने लड़की को मारकर कुयें में डाल दिया।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया कि उसके बयान प्रदर्श डी-19 में यह बात लिखी हुई नहीं है कि 51 हजार रुपये नहीं देने पर कजोड़ी नाराज होकर चला गया था।

पी.ड.11 रेशनलाल ने स्वयं को परिवादी सुखराम का भाई होना बताया है। गवाह का कथन है कि उसके भाई ने विवाह में 51 हजार रुपये नहीं दिये

तो कजोड़ी नाराज हो गया और बारात लेकर चला गया। रक्षाबंधन पर पुनः लड़की को लेने उसका भाई गया तो लड़की ने भाई को बताया कि ससुरालवालों को 31 हजार रुपये दे दो, नहीं तो वे उसे जान से मार देंगे।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया कि उसने अपने भाई सुखराम व गिरधर को टेलीफोन पर सूचना नहीं दी। पुलिस बयान प्रदर्श डी-20 में मैंने टेलीफोन से सुखराम को सूचना दी थी, मैंने पुलिस को नहीं लिखाया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी-20 में यह बात नहीं बताई कि जब रक्षाबंधन पर लड़की को लेने गये, तब लड़की ने यह कहा था कि उसके ससुरालवालों को 31 हजार रुपये दे दो, नहीं तो वे उसे जान से मार देंगे। इस प्रकार गवाह के पुलिस बयानों में ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों का अभाव होना एवं न्यायालय में ऐसे कथन करना इस बिन्दु पर उसके कथनों की सत्यता को खण्डित करता है।

पी.ड.14 विनोद कुमार ने स्वयं को मंजू मथुरिया का भाई बताया है। गवाह ने विवाह एवं दहेज के संबंध में कथन किये हैं। गवाह ने कथन किया कि रक्षाबंधन से पहले 19 तारीख को जब वह बहन से मिलने चन्द्रप्रकाश के घर गया तो उसकी बहन रोने लग गई और उसे बताया कि ये लोग उससे पैसे मांगते हैं, मारपीट करते हैं और पैसे नहीं दिये तो वह रक्षाबंधन पर नहीं जा पाऊंगी। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया कि मंजू द्वारा रोकर बताई गई उक्त बातें उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी-23 में लिखी हुई नहीं है। इस प्रकार इस गवाह के भी पुलिस बयानों में मृतका द्वारा बताई गई बातों का लिखा होना प्रकट नहीं हुआ है। गवाह ने आगे स्वीकार किया है कि शादी के बाद वह अपनी बहन मंजू से मिलने कभी भी उसके ससुराल नहीं गया।

पी.ड.15 चिकित्सक डॉ बाबूलाल ने मृतका का पोस्टमार्टम करना और शव परीक्षण के दौरान मृतका के कारित चोटें एवं अन्य तथ्यों के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 तैयार करना बताया है।

पी.ड.16 ठंडीराम मृतका मंजू के ससुराल गांव का रहने वाला है। गवाह ने बताया है कि मंजू कुयें में गिरकर मरी थी। पुलिस ने लिखा-पढ़ी की थी। मंजू क्यों मरी, पता नहीं। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया कि शादी के बाद मंजू को उसका पति और ससुर-सास प्यार से रखते थे। गवाह के अनुसार उसकी जानकारी में नहीं है कि मंजू से उसके पति, सास दहेज मांगते थे, उसे तंग व परेशान करते थे और न ही ऐसा उसने सुना। यह सही है कि हमारे सामने मंजू के पीहर वालों ने हमसे व पुलिस वालों से यह नहीं कहा कि मंजू को उसके ससुराल वालों ने दहेज के पीछे तंग व परेशान कर मारपीट कर कुयें में डाला है। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श डी-25 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाने से इनकार किया है। इस प्रकार गवाह ने अभियोजन कहानी का बिल्कुल समर्थन नहीं किया है।

प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी भरतलाल मीणा को अभियोजन पक्ष की ओर से पी.ड.17 के रूप में प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। गवाह ने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान से संबंधित की गई कार्यवाही के बारे में बताया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि मुखबिर ने मेरे को तफ्तीश के दौरान दिनांक 03.09.1994 को यह नोट अंकित कराया था कि दहेज में जो सामान मुलजिम को मिला था, उससे वह संतुष्ट था और कभी दहेज बाबत परेशान नहीं किया और कभी पैसे नहीं मांगे। जयपुर में वह अपने पति के साथ राजीखुशी रही। रक्षाबंधन पर उसका कोई भाई उसके ससुराल सालिमपुर नहीं पहुंचा। मंजू ने कहा कि मेरे पांच भाई हैं वो ही लेने नहीं आये तो मैं क्यों जाऊं। मेरी मां सौतेली है असल मां होती तो वह बुला लेती। गवाह के अनुसार यह नोट उसको मुखबिर द्वारा बताया गया, जो उसने केस डायरी में अंकित किया।

अनुसंधान अधिकारी भरतलाल मीणा के अनुसार यह सही है कि दिनांक 18.09.1994 को तफ्तीश से उसके समक्ष यह तथ्य आया था कि मंजू के पीहर से रक्षाबंधन पर लेने कोई नहीं आया तथा अपनी मां नहीं होने के कारण

उसकी चाह नहीं होने की बात को लेकर मंजू रात को गांव में औरतों के साथ झूला झूली और रोकर यह बात बताई तथा इसी कारण से आत्महत्या कर लेना गवाहान के बयान से पाया गया।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने अज खुद कहा कि दस्तावेजात के आधार पर यह तथ्य सामने आया था कि मंजू को कभी तंग परेशान नहीं किया गया, लेकिन ऐसा कोई नोट नहीं डाला गया कि अपराध घटित होना नहीं पाया गया। गवाह के अनुसार अनुसंधान के दौरान मुलजिम की ओर से पेश किये गये दस्तावेजों के आधार पर यह तथ्य सामने आया था कि दहेज के लिये मृतका मंजू को कभी तंग परेशान नहीं किया गया और न ही मारने को उकसाया और न ही मारा। गवाह ने स्वीकार किया कि जो भी दस्तावेजात मुलजिम ने पेश किये थे, उनको उसने सही माना था।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने झूठा फंसाया जाना प्रकट करते हुए अभियुक्त चन्द्रप्रकाश ने लिखित बयान प्रस्तुत किया। लिखित बयान में चन्द्रप्रकाश ने बताया कि अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान के दौरान स्वतंत्र गवाहान के बयान लिये थे, जिन्होंने कहा कि मंजू के ससुराल पक्ष के लोगों ने मंजू को बड़े प्यार से रखा था। बयानों में आगे यह भी प्रकट किया कि रक्षाबंधन पर उसको लेने के लिये कोई भाई नहीं आया था और इस कारण मंजू काफी दुखी थी। इस कारण एवं शादी से पूर्व के प्रेमी द्वारा ब्लेकमेल किये जाने से परेशान होकर मंजू रात्रि को चुपचाप गांव से निकल गई और कुयें में कूदकर आत्महत्या कर ली। चन्द्रप्रकाश ने अपने लिखित बयान में यह भी बताया कि मृतका मंजू ने अपने जीवनकाल में उसे पत्र लिखे थे, जिसमें दहेज की मांग अथवा प्रताड़ना के संबंध में एक शब्द भी अंकित नहीं है। इसी प्रकार स्वयं परिवादी सुखराम पी.ड.1 ने भी अभियुक्त पक्ष के परिवारवालों को पत्र लिखा था, जिसमें भी किसी प्रकार के दहेज की मांग का तथ्य अंकित नहीं है। दहेज की मांग व

प्रताड़ना का आरोप झूठा व मनगढ़न्त है। मंजू अपने पति के साथ ससुराल में खुश थी।

उक्त लिखित बयानों के अतिरिक्त अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में कुल सात गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। डी.ड.1 भगवान सिंह ने कथन किया है कि वह अपने गांव के चन्द्रप्रकाश को अच्छी तरह से जानता है, वह चन्द्रप्रकाश की शादी में डींग गया था। शादी में दहेज के बारे में दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं हुआ था। गवाह के अनुसार शादी के बाद मंजू को उसके ससुराल वाले बहुत प्यार से रखते थे।

डी.ड.2 होतीलाल के बयानों के अनुसार वह अपने गांव के चन्द्रप्रकाश व कजोड़मल को जानता है। वह शादी में गया था। बारात प्रेमपूर्वक विदा हुई थी। शादी के बाद मंजू को दहेज के लिये कभी मारा पीटा नहीं गया। मंजू का जन्मदिन अच्छे से मनाया था। इसी प्रकार डी.ड.3 मोहनलाल शर्मा ने भी कथन किये हैं।

डी.ड.4 श्रीमती रामपती ने कथन किया कि वह चन्द्रप्रकाश व कजोड़मल की पड़ौसी है। शादी के बाद मंजू को कभी दहेज के लिये तंग व परेशान नहीं किया गया, अच्छी तरह से मंजू को रखते थे। गवाह का कथन है कि रक्षाबंधन पर मंजू उनके साथ झूला झूल रही थी। मंजू ने रोकर बताया कि उसकी मां जिन्दा होती तो उसको लिवाने भेजती। उसके 5—5 भाई हैं, लेकिन उसे कोई लिवाने नहीं आया। इसी प्रकार के कथन डी.ड.6 श्रीमती भागमती ने भी किये हैं।

प्रतिपरीक्षण में गवाह रामपती ने कहा कि उसका रोजाना इनके घर आना—जाना होता था। यह सही है कि दसईं पर जब पीहर वाले मंजू को लिवाने आए तब मंजू नहीं गई क्योंकि मंजू ने उनसे यह कह दिया था कि उसका पति नौकरी से जब आयेगा, तब जाएगी। डी.ड.6 भागमती ने प्रतिपरीक्षण में प्रकट किया कि 5—6 मकान छोड़कर उसका मकान कजोड़मल के मकान से है। तीज—त्योहार वह कजोड़ के घर चली जाती है।

डी.ड.5 गाजीराम ने भी होतीलाल व मोहनलाल के बयानों के अनुरूप कथन किये हैं और स्वयं का शादी में जाना, बारात का खाना खाकर विदा होना तथा शादी के बाद मंजू को उसके ससुरावालों द्वारा अच्छी तरह से रखना बताया है।

डी.ड.7 श्रीमती कृष्णा ने अपने मकान में चन्द्रप्रकाश का किराये पर रहना बताया है और इस गवाह ने मंजू का विवाह से पूर्व किसी अन्य लड़के से प्रेम-संबंध होने का कथन किया है। गवाह को मंजू ने बताया था कि वह लड़का उसे ब्लेकमेल करता है। गवाह के अनुसार चन्द्रप्रकाश व मंजू उसके मकान में प्रेमपूर्वक रहते थे और उसमें कोई विवाद होना नहीं सुना।

अपीलार्थी-अभियुक्तगण की ओर से परीक्षित कराये गये उक्त सभी गवाहान से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, लेकिन प्रतिपरीक्षण में गवाहान के मुख्य परीक्षण के कथनों का कोई प्रभावी खण्डन नहीं हो सका है, अतः उनकी साक्ष्य अभियुक्त के पक्ष में सकारात्मक माने जाने योग्य है।

उपर्युक्तानुसार अभियोजन पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष की ओर से अपने-अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूलतः सार यही रहा है कि शादी के समय ही अभियुक्त पक्ष द्वारा दहेज की मांग की गई और बारात नाराज होकर बिना खाये चली गई। अभियोजन पक्ष ने यह भी प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि मृतका मंजू ने अपने भाइयों को बताया था कि ससुराल वालों को 31000/- रुपये दे दो नहीं तो वे उसे जान से मार देंगे। जबकि इसके विपरीत अभियुक्त पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार मृतका अपने ससुराल में खुश थी, उसे दहेज के लिये कभी तंग व परेशान नहीं किया गया। मृतका को रक्षाबंधन पर लेने के लिये कोई भाई नहीं आया, इससे वह दुखी थी एवं मृतका का पूर्व प्रेमी उसे ब्लेकमेल करता था और इन सब से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली।

अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपित अपराध को प्रमाणित करने हेतु जिन साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, उनमें अधिकतम साक्षीगण मृतका के पिता, भाई व रिश्तेदार हैं, अर्थात् सभी हितबद्ध साक्षीगण हैं। जबकि अभियुक्त पक्ष की ओर से मृतका के ससुराल के पड़ौसी एवं उसी गांव के रहने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है और ये गवाहान चन्द्रप्रकाश व मंजू के विवाह में मौजूद रहे हैं और महिला गवाहान ने मृतका मंजू के साथ मिलना-जुलना व बातचीत होना प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की तुलना में अभियुक्त पक्ष के गवाहान द्वारा किये गये कथनों की विश्वसनीयता अधिक प्रभावी होना स्वाभाविक है।

यहाँ यह उल्लेख किया जाना उचित है कि अभियोजन कहानी अनुसार शादी के समय अभियुक्त पक्ष द्वारा दहेज की मांग करने एवं बारात का नाराज होकर खाना खाये बिना चले जाने के आधार पर दहेज प्रताड़ना का बिन्दु प्रमाणित होना बताया गया है। इसी प्रकार मृतका द्वारा अपने भाइयों मनोज व राजेन्द्र को ससुराल वालों को 31000/- रुपये देने एवं नहीं देने पर जान से मारने की बताई गई बात को भी अभियोजन कहानी का आधार बनाया गया है। निश्चित रूप से अभियोजन कहानी के प्रमाणीकरण हेतु उक्त तथ्यात्मक स्थिति महत्वपूर्ण एवं सुसंगत है और अभियोजन साक्ष्य से साबित होना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान मामले में मृतका के पिता, भाइयों व रिश्तेदार आदि गवाहान से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह प्रकट हुआ है कि उक्त सम्पूर्ण तथ्यात्मक स्थिति का उनके पुलिस बयानों में उल्लेख ही नहीं है। अतः इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई हो और इसी कारण उन गवाहान ने अपने पुलिस बयानों में उक्त तथ्यात्मक स्थिति के बारे में कोई कथन ही नहीं किया। ऐसा नहीं है कि किसी एक गवाह के पुलिस बयानों में इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि मृतका के पिता, भाई व रिश्तेदारों अर्थात् सभी गवाहान के पुलिस बयानों में ऐसे महत्वपूर्ण व सारभूत कथनों का पूर्णतः अभाव रहा है। हालाँकि न्यायालय

बयानों में ऐसे कथन अवश्य किये गये हैं, लेकिन पुलिस बयानों में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं होना निश्चित रूप से अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न है और इससे अभियुक्त की प्रतिरक्षा की सम्भावना को प्रबलता मिलती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त को अपना बचाव संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर स्थापित किया जा सकता है, जबकि अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने की जिम्मेदारी है।

न्यायिक विनिश्चय *Renuka Prasad Vs. State* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अंकित किया कि प्रकरण के जांच अधिकारी द्वारा यह कह देने से कि गवाहान के बयान उनके कहे अनुसार लिये, गवाहान के बयानों को विश्वसनीयता नहीं मिल जाती, जब तक कि गवाहान ने संबंधित अपराध के मकसद, साजिश और तैयारी के बारे में स्वयं ने बताया हो। इसी निर्णय में आगे यह भी मत व्यक्त किया गया कि पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं सबूतों से दो दृष्टिकोण सम्भव हो तो उस दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, जो आरोपी के पक्ष में हो, विशेषकर इसलिये क्योंकि आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धान्त के अनुसार उसका दोषी होना साबित न हो जाए, उस स्थिति में आरोपी के निर्दोष होने की धारणा, बरी करने के आदेश से और भी अधिक मजबूत हो जाती है।

अब हम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करते हैं। अभियुक्त पक्ष की ओर से परिवादी सुखराम द्वारा अभियुक्त पक्ष को लिखे गये पत्र दिनांकित 31.05.1994 को प्रदर्श डी-2 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है और तर्क दिया गया कि उसमें दहेज की मांग के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं है। प्रदर्श डी-3 मृतका का स्कूल प्रवेश पत्र है, जिसमें अंकित हस्ताक्षर व फोटो को मृतका के पिता सुखराम व भाई मनोज कुमार ने मृतका की होना माना है। मृतका द्वारा लिखी गई डायरी प्रदर्श डी-6 पर अंकित हस्ताक्षर के

समान होना स्वयं विद्वान विचारण न्यायालय ने माना है। प्रदर्श डी-4 व 5 वे पत्र हैं, जो कजोड़ द्वारा अपने पुत्र चन्द्रप्रकाश को एवं मृतका द्वारा शादी के बाद अपने पति चन्द्रप्रकाश को लिखे गये हैं, जिसमें अंकित शब्दावली दोनों पक्षों के संबंधों की मधुरता को प्रकट करती है।

इस मामले में मृतका द्वारा मृत्यु से पूर्व लिखी गई डायरी सबसे महत्वपूर्ण व निर्णायक दस्तावेज है। यह डायरी अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रदर्श डी-6 के रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्शित व प्रमाणित करवाई गई है, जिसमें अंकित इबारत सुसंगत होने से निम्न प्रकार है :-

मेरे स्वामी मुझे माफ करना जो भी गलती हो गई हो
मैं आपकी जिन्दगी से हमेशा के लिये जा रही हूँ।

आपकी मंजु

मैंने आपके साथ बहुत गलती अब आपके लायक नहीं रही
इसलिये मेरा जीना बेकार है आपके माता पिता ने मुझे बहुत प्यार दिया
आपने भी इसलिये अब मैं जीने से थक गई हूँ।
आप मुझे कहीं तलाश मत करना आपको स्वयं ही पता चल जायेगा।

इस डायरी प्रदर्श डी-6 पर अंकित हस्ताक्षर एवं मृतका मंजू के प्रवेश पत्र प्रदर्श डी-3 पर अंकित हस्ताक्षर विद्वान विचारण न्यायालय ने एक समान होना अपने आदेश में माना है। वह आदेश अंतिम है, जिसे कोई चुनौती नहीं दी गई है। अतः इस डायरी में अंकित इबारत मृतका की होने की उपधारणा की जा सकती है, विशेषकर उस स्थिति में, जबकि डायरी में अंकित इबारत के खण्डन में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य अथवा तथ्यात्मक स्थिति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी हो। उक्त डायरी अभियुक्त पक्ष द्वारा कूटरचना कर तैयार की गई हो, ऐसा भी कोई तथ्य अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका है।

डायरी प्रदर्श डी-6 में अंकित इबारत पर विद्वान विचारण न्यायालय ने भी अपने आलोच्य निर्णय में विश्वास व्यक्त किया है और अपने निर्णय में यह

अंकित किया है कि स्वयं मृतका मंजू द्वारा मृत्यु से पूर्व मृत्यु का कारण बताते हुए सुसाईड नोट प्रदर्श डी-6 लिखा गया है। अतः इस न्यायालय की राय में प्रदर्श डी-6 में अंकित इबारत पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में डायरी में लिखी हुई इबारत की विश्वसनीयता खण्डित नहीं होने से यह अभियुक्त की प्रतिरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करती है और अभियोजन कहानी के प्रतिकूल माने जाने योग्य है।

न्यायिक विनिश्चय Shenbagavalli & Ors. Vs. Inspector of Police & Anr. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं सुसाईड नोट के संबंध में विवेचन करते हुए यह मत व्यक्त किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्य किसी सक्रिय आपराधिक कृत्य की ओर इशारा नहीं करते, जिससे यह माना जा सके कि आरोपी ने मृतक को आत्महत्या करने पर मजबूर किया हो या उसे ऐसी स्थिति में धकेल दिया हो कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और चारा ही न बचा हो तथा सुसाईड नोट में भी आरोपी द्वारा मृतक को उकसाने या उसके साथ निरन्तर क्रूरता या उत्पीड़न करना साबित नहीं होने की स्थिति में केवल उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध साबित नहीं माना जा सकता है। यह भी मत व्यक्त किया गया कि आपराधिक इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बल्कि यह स्पष्ट रूप से मौजूद और दिखाई देना चाहिए।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अधिकतर गवाह मृतका के परिवारवाले होकर हितबद्ध साक्षीगण हैं। अभियोजन कहानी जिन कथनों पर मूल रूप से आधारित है, उन कथनों का अभियोजन पक्ष के गवाहान के पुलिस बयानों में पूर्ण रूप से अभाव है, यानी ऐसे कोई कथन गवाहान ने पुलिस बयान में नहीं बताये हैं और न्यायालय में साक्ष्य के दौरान प्रकट किये गये हैं, जो एक प्रकार से अपने बयानों में सुधार करने जैसा है। इससे अभियोजन कहानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी एवं गवाहान तोताराम व ठण्डीराम की साक्ष्य में जो तथ्य प्रकट हुए

हैं, वे भी कुछ हद तक अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाते हैं। इसके विपरीत अभियुक्त पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण मृतका के ससुराल के गांव वाले हैं और उन्होंने अभियुक्त पक्ष की प्रतिरक्षा को समर्थित किया है। प्रतिपरीक्षण में उनकी साक्ष्य का कोई तात्त्विक खण्डन नहीं हो सका है। इन सबके अतिरिक्त मृतका द्वारा लिखे गये पत्र एवं सुसाईड नोट-डायरी अभियुक्त की प्रतिरक्षा को प्रबलता प्रदान करते हैं। प्रदर्श डी-6 डायरी को कूटरचित अथवा अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार प्रकट नहीं हुआ है और न ही प्रदर्श डी-6 में अंकित इबारत की विश्वसनीयता खण्डित हो सकी है। अतः मामले की प्रकृति को देखते हुए प्रदर्श डी-6 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त को अपना बचाव संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर स्थापित किया जा सकता है, जबकि अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने की जिम्मेदारी है। वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण व सुसंगत बिन्दुओं को अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। अतः दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के संबंध में उक्त वर्णित तमाम परिस्थितियों एवं विवेचन की रोशनी में अपीलार्थी-अभियुक्तगण की विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि अपास्त किये जाने योग्य है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), संख्या-2, भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-69/2001 राजस्थान राज्य बनाम कजोड़ीलाल वगैरा में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 27.02.2004 अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी-अभियुक्तगण को धारा 306 व 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है।

अपीलार्थी—अभियुक्तगण जमानत पर आजाद हैं, उनके जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अपीलार्थी—अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील अनुमति याचिका प्रस्तुत होने पर उसमें उपस्थिति हेतु धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत एक लाख रुपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की जमानत विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद दो माह की अवधि में प्रस्तुत कर तस्दीक करावें।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /Reserve